

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना सं 18/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 03 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/97-सीमा शुल्क, दिनांक 07 जुलाई, 1997, जिसे सा.का.नि. 367(अ), दिनांक 07 जुलाई, 1997 के तहत प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

‘‘6 केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के सभी सहायक निदेशक।’’

[फा.सं. 437/05/2017-सीमा शुल्क-IV]

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना को सा.का.नि. 367(अ), दिनांक 7 जुलाई, 1997 के तहत प्रकाशित किया गया था।